ई-मेल/तत्काल

कार्यालय परिवहन आयुक्त,

उत्तर प्रदेश।

संख्याः-264(शा०)सा०प्र०/2025-08टीआर/2018, लखनऊ : दिनांक 05 नवम्बर, 2025

सेवा में,

वरिष्ठ प्रबन्धक (प्रणाली),
यूपीडेस्को, द्वितीय तल, अपट्रॉन बिल्डिंग,
गोमती नगर, लखनऊ, 226010।

विषयः-उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 में किये गये संशोधन संबंधी अधिसूचना दिनांक 17-10-2025 में क्रय सब्सिडी धारा के अंतर्गत सम्बन्धित प्राविधान एवं मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 10-10-2025 को उच्च स्तरीय प्राधिकृत इलेक्ट्रिक व्हीकल समिति (HLEEVC) की सम्पन्न बैठक का सक्षम स्तर से अनुमोदित कार्यवृत्त दिनांक 17-10-2025 में इलेक्ट्रिक वाहनों के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति- केवल शुद्ध विद्युत वाहनों (PURE EVs) पर प्रवर्तनीय, का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन अनुभाग-4 के पत्र संख्या-2541/तीस-3-2025, दिनाँक 05 नवम्बर, 2025 **(छायाप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग-6, उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-73/2025/2201/77-6-2025-1657900, दिनांक 17-10-2025 एवं सक्षम स्तर से अनुमोदित HLEEVC का कार्यवृत्त संख्या-2157/77-6-2025/1657900, दिनांक 17-10-2025, परिवहन अनुभाग-4 द्वारा निर्गत पत्र/उ०प्र० इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 के क्रियान्वयन सम्बन्धी SOP संख्या-420/तीस-4-2023, दिनांक 18-03-2023 तथा परिवहन अनुभाग-3 द्वारा निर्गत उक्त नीति में विहित क्रय सब्सिडी प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन की शर्तों के निर्धारण सम्बन्धी पत्र संख्या-92/2023/2014/30-3-2023, दिनांक 14-07-2023 की छायाप्रतियां संलग्न कर प्रेषित करते हुए शासन के संदर्भित पत्र दिनाँक 05.11.2025 के प्रस्तर-2 एवं 3 में अंकित संशोधित प्राविधान/सक्षम स्तर से अनुमोदित संस्तुति के अनुपालन हेतु औद्योगिक विकास विभाग के निर्देशों में उल्लिखित प्रभावी तिथि से लागू कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने की अपेक्षा की गई है।

2- शासन के संदर्भित पत्र दिनाँक 05.11.2025 के प्रस्तर-2 में उल्लेख है कि अधिसूचना दिनांक 17-10-2025 के माध्यम से पूर्व में निर्गत अधिसूचना दिनांक 14-10-2022 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 एवं अधिसूचना दिनांक 15 जुलाई, 2024 (प्रथम संशोधन) द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन

विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 में किये गये द्वितीय संशोधन (2025) के रूप में प्रस्तर 4.3 क्रय सब्सिडी धारा के अंतर्गत किया गया संशोधित प्राविधान निम्नवत है :-

"एग्रीगेटर/फ्लीट ऑपरेटर 'क्रेताओं' को 2-पहिया, 3-पहिया अथवा 4-पहिया वाहन के अधिकतम 10 यूनिट्स तथा ई-बस अथवा ई-गुड्स कैरियर्स के 25 यूनिट्स के क्रय पर क्रय सब्सिडी लेने की अनुमति होगी।"

3- इसके अतिरिक्त संदर्भित पत्र दिनाँक 05.11.2025 के प्रस्तर-3 में उल्लेख है कि मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय प्राधिकृत इलेक्ट्रिक व्हीकल समिति (HLEEVC) की सम्पन्न बैठक दिनांक 10-10-2025 के कार्यवृत्त पर औद्योगिक विकास विभाग द्वारा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, जिससे पूर्व में प्रख्यापित नीति के विभिन्न अवयव तद्नुसार संशोधित किये जाने है। उक्त अनुमोदित कार्यवृत्त दिनांक 17-10-2025 के मद संख्या-दो की संस्तुति के क्रम में निम्नानुसार अंकित किया गया है:-

"समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिये जाने के दृष्टिगत, वित्तीय प्रोत्साहन आदेश के क्रमांक-28/PS/IIDC/2024, दिनांक 11.07.2024 को 13 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी रूप से वापस लिया जायेगा। शेष प्राविधान नीति के अनुरूप प्रभावी रहेंगे। नीति के प्रस्तर-4.3 के अन्तर्गत परिभाषित स्वीकृति प्रोत्साहन केवल शुद्ध विद्युत वाहनों (PURE EVs) पर प्रवर्तनीय होंगे।"

4- उक्त पत्र में यह भी उल्लेखनीय है कि परिवहन अनुभाग-4 द्वारा निर्गत पत्र/उ०प्र० इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 के क्रियान्वयन सम्बन्धी एसओपी संख्या- 420/तीस-4-2023, दिनांक 18-03-2023 तथा परिवहन अनुभाग-3 द्वारा निर्गत पत्र संख्या- 92/2023/2014/30-3-2023, दिनांक 14-07-2023 द्वारा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 में विहित क्रय सब्सिडी प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन की शर्तों के निर्धारण के संबंध में आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त निर्देशों में अंकित कतिपय प्राविधान इस शासनादेश के प्रस्तर-2 एवं 3 के अनुसार परिवर्तित किये जाने होंगे, तथापि उक्त दोनों शासनादेशों दिनांक 18.03.2023 एवं 14.07.2023 द्वारा निर्गत शेष शर्तें एवं प्राविधान यथावत रहेगें।

उक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन क्रय सब्सिडी" पोर्टल पर **तात्कालिक रूप से** निम्नलिखित तकनीकी व्यवस्था सृजित कराना सुनिश्चित करें:-

1) शासन द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन आदेश क्रमांक-28/PS/IIDC/2024, दिनांक 11.07.2024 को दिनाँक 13.10.2025 से प्रभावी रूप से वापस लिए जाने के दृष्टिगत दिनाँक 14.10.2025 से दिनाँक 13.10.2027 तक इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 के प्रस्तर-4.3 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्रय एवं पंजीकृत केवल उन्हीं वाहनों को ही वाहन क्रय सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जो शुद्ध विद्युत वाहन (PURE EV) होंगे। इसमें हाइब्रिड, स्ट्रॉग हाइब्रिड, प्लग-इन हाइब्रिड, सीरीज हाइब्रिड,

सीरीज पैरलेल हाइब्रिड आदि श्रेणी के वाहन सम्मिलित नहीं होंगे। शेष प्राविधान नीति के अनुरूप प्रभावी रहेंगे।

2) एग्रीगेटर/फ्लीट ऑपरेटर क्रेताओं को 2-पहिया, 3-पहिया अथवा 4-पहिया वाहन के अधिकतम 10 यूनिट्स तथा ई-बस अथवा ई-गुड्स कैरियर्स के 25 यूनिट्स के क्रय पर क्रय सब्सिडी लेने की अनुमति होगी।

3) 3 व्हीलर वाहनों को वाहन क्रय सब्सिडी पूर्ववत अनुमन्य नहीं होगी।

संलग्नक:-यथोक्त।

(डॉ० आर०के० विश्वकर्मा)
अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व),
उत्तर प्रदेश।

पृ०सं०:-263(शा०-1)सा०प्र०/2025-समदिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
2. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन अनुभाग-4, सचिवालय, लखनऊ को शासन के पत्र पत्र संख्या-2541/तीस-3-2025, दिनाँक 05 नवम्बर, 2025 के क्रम में।
3. समस्त अधिकारीगण (परिवहन आयुक्त को छोड़कर), मुख्यालय।
4. समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), उत्तर प्रदेश।
5. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि जनपद के समस्त ईवी वाहन विक्रेताओं को तदनुसार संसूचित करना सुनिश्चित करें।
7. सहायक महाप्रबन्धक, सरकारी व्यवसाय सेवाएं एवं समाधान ईकाई, स्थानीय प्रधान कार्यालय, भारतीय स्टेट बैंक (SBI), लखनऊ।
8. वैयक्तिक सहायक, परिवहन आयुक्त कैम्प को परिवहन आयुक्त के अवलोकनार्थ।
9. श्री शिवेन्द्र सिंह, हेड.बीयू, मेसर्स स्टेको वर्ड प्रा.लि., नोएडा को अनुपालनार्थ।
10. गार्ड फाइल/आदेश पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त(राजस्व),
उत्तर प्रदेश।